उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

7/7ए, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अपील संख्या एस–01/0061/ए/2024

अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता	प्रतिवादी
श्री योगी एमपी सिंह	पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
समक्ष : डा0 राजकुमार विश्वकर्मा, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त।	

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। आवेदक आज सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आन लाइन मोड पर उपस्थित हुए। प्रतिवादी श्री राजेश कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक साइबर काइम पी0एच0क्यू, लखनऊ एवं श्री अरविन्द कुमार यादव, आई ओ0 निरीक्षक थाना कटरा, जनपद मिर्जापुर उपस्थित हुए।

धारा	प्रश्न/अनुतोष
6(1) 17.10.2023	**प्रकरण** – आवेदक के पैन कार्ड को 13 बैंक एकाउण्ट से लिंक कर 16 करोड़ रूपए का लोन दिखाया गया, जबकि आवेदक का मात्र 01 बैंक एकउण्ट है और आवेदक द्वारा कभी कोई लोन नहीं लिया गया। 1. Public Information officer may provide the name and designation of the staff who are processing the following email sent to the public authority by the information seeker. 2. Public Information officer may provide the minutes of the proceeding made by the public authority regarding the following email. 3. Public Information officer may provide the action details taken by the public authority regarding the email of this information seeker.

आयोग के गत आदेश के क्रम में आज सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। उनके द्वारा आयोग को सम्बोधित पत्र दिनांक 23.11.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसे पत्रावली पर रखा गया।

उक्त पत्र के माध्यम से आयोग को अवगत कराया गया कि प्रकरण में दिनांक 11.11.2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0 अ0 सं0–291/2023 धारा 420 भा0 द0 वि0 66 सी/66 डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर में पंजीकृत कर निरीक्षक ना0 पु0 श्री अरविन्द कुमार द्वारा विधिक कार्यवाही रिपोर्ट संलग्न की जा रही है। आवेदक द्वारा चाही गयी सूचना दिनांक 23.11.2024 को प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी एक प्रति प्रस्तुत की गयी, जिसे पत्रावली पर रखा गया। आयोग द्वारा उक्त का संज्ञान लिया गया।

आदेश

आयोग द्वारा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया और नोट किया गया कि सम्पूर्ण प्रकरण वित्तीय धोखाधड़ी से सम्बन्धित है, कि ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से प्रकरण के निस्तारण के क्रम में यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या/प्रोग्रेस रिर्पोट आगामी सुनवाई तिथि पर आयोग के समक्ष श्री अरविन्द कुमार यादव, निरीक्षक, थाना कटरा, जनपद मिर्जापुर के माध्यम से प्रस्तुत करें।

वाद वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 19.12.2024 को पेश हों।

25.11.2024